FORM - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

बक्शीश सिंह उर्फ गुरबक्श सिंह बनाम राजस्थान सरकार

अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट नम्बर 97 सन् 2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2024/175

तामिल हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.06.2024	प्रार्थी बक्शीश सिंह उर्फ गुरबक्श सिंह पुत्र खुशाल सिंह जाति जटसिख निवासी 17 ओ तहसील श्रीकरणपुर की ओर से अधिवक्ता सतीश कुमार अरोडा ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट पेश किया। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रकरण के संबध में रिपोर्ट हेतु तहसीलदार श्रीकरणपुर को पत्र लिखा जावे। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 25.06.2024 को पेश हो।	
25/06/24	प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। रिपोर्ट DR KPR प्राप्त हुई। शामिल मिसल रहे। बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया गया। लिहाजा वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाता है। यथा डिक्री इस आशय का जारी हो। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)